

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2015/वैशाख 4, 1937

No. 258]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2015/VAISAKHA 4, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 319(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, उप-निरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, उप-निरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, उप-निरीक्षक (कार्यपालक) भर्ती नियम, 2013 में, नियम (7) के उप नियम (1) में, “या ऐसी अन्य आयु जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सके” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. ई-32012/09/2011/स्था. I]

हरीश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक. I)

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 783 (अ), तारीख 18 दिसंबर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th April, 2015

G.S.R. 319(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Industrial Security Force, Security Wing, Sub-Inspector (Executive) Recruitment Rules, 2013, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force, Security Wing, Sub-Inspector (Executive) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Industrial Security Force, Security Wing, Sub-Inspector (Executive) Recruitment Rules, 2013, in rule 7, in sub-rule (1), the words “or such other age as may be specified by the Central Government from time to time” shall be omitted.

[F.No.E-32012/09/2011/Estt.I]

HARISH CHANDER, Director (Pers.I)

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R number 783 (E), dated the 18th December, 2013.